न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 424 /2022

उनवान

अशोक कुमार पुत्र देवीदत्त भारद्वाज निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– ओमप्रकाश पुत्री काशीलाल भारद्वाज निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
2– कृष्णादेवी पत्नी गोरधन भारद्वाज निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
3– पुष्पादेवी पुत्री गोरधन भारद्वाज निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
4– राकेश पुत्र गोरधन भारद्वाज निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
5– श्यामसुन्दर पुत्र गोरधन भारद्वाज निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
6– छोटू पुत्र भागीरथ जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
7– भेरू पुत्र भागीरथ जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
8– गीतादेवी पत्नी मिश्री बलाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
9– रामेदव पुत्र बरजी बलाई नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका बहर मु. सीमा सीमा पुत्री बरजी बलाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
10– मु. ललिता पुत्री बरजी बलाई नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका बहर मु. सीमा सीमा पुत्री बरजी बलाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
11– मु. सांवरी पुत्री बरजी बलाई नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका बहर मु. सीमा सीमा पुत्री बरजी बलाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
12– मु. सीमा पुत्री बरजी बलाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
13– पन्ना पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
14– लादू पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
15– धन्ना पुत्र बालू जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
16– देवकरण पुत्र बालू जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
17– लादू पिता नाना जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा
18– सोजी पुत्र नाना जाट निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री नमन ओझा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21.12.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **बीलिया पटवार हल्का बीलिया** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 211 रकबा 1.26 है0, 214 रकबा 0.65 है0, 215 रकबा 0.88 है0** कुल किता 2 रकबा **2.79** हैक्टेयर का प्रार्थी **सह खातेदारी काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 8, 13 लगायत 18** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 1 लगायत 7, 9 लगायत 12** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बीलिया पटवार हल्का बीलिया संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के सह खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बीलिया** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **सह खातेदारी** की आराजीयात् किता **2 रकबा 2.79 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस /– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **21.12.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा